रजिस्ट्री सं. डी(डीएन)—128/88

REGISTERED NO. D—(DN)—128/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1988 (भाद्रपद 19, 1910)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1988 (BHADRA 19, 1910)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	643
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1193
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1325
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	893
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	883
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2059
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	153
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 643

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1103

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence* 1325

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 893

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 883

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2059

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 153

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली–110001, दिनांक जून, 1988

संकल्प

सं० एम०–13043/12/(7)/87-कृषि––श्री के० रामामूर्ति, कुलपति, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, से डा० एन० पटनायक द्वारा कुलपति का कार्यभार लेने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम–13043/12/87–कृषि के तहत क्षेत्र सं० 7 पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए गठित आयोजन दल के प्रभावी रूप से श्री पटनायक अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०–13043/12(10)/87–कृषि––डा० एस० वी० पाटिल, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से डा० राम कृष्ण द्वारा कुलपति का कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम–13043/12/87–कृषि के तहत क्षेत्र संख्या 10: दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए गठित आयोजन दल के प्रभावी रूप से डा० राम कृष्ण अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

दिनांक, 3 जून 1988

संकल्प

सं० एम०–13043/12/87-एग्री(I)––कृषि मंत्रालय के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र–सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 20 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार–विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक–जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार–विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र संख्या 1 : पश्चिमी हिमालय क्षेत्र

आयोजन दल के क्षेत्र

1. डा० महातिम सिंह, अध्यक्ष
कुलपति, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
पंतनगर, उत्तर प्रदेश

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
(1) कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य
पालमपुर–176062 (हिमाचल प्रदेश)

(2) कुलपति, डा० वाई० एस० परमार सदस्य
बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय
सोलन–173230, हिमाचल प्रदेश

(3) कुलपति शेर–ए–कश्मीर सदस्य
कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
श्रीनगर

3 इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226001,
उत्तर प्रदेश

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, सदस्य
जम्मू और कश्मीर,
श्रीनगर–190001 (जम्मू और कश्मीर)

(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग सदस्य
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन
(1) सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश सदस्य
लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश

(2) सचिव, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला सदस्य
श्रीनगर–190001

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश सदस्य
लखनऊ–226001

(2) मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सदस्य
शिमला–171001

(3) मुख्य वन संरक्षक, जम्मू और कश्मीर, सदस्य
श्रीनगर–190001

6. इस क्षेत्र में सचिव, सिंचाई
(1) सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, सदस्य
लखनऊ–226001

(2) सचिव, सिंचाई, हिमाचल प्रदेश सदस्य
शिमला–171001

(3) सचिव, सिंचाई, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर–190001 — सदस्य

7. इस क्षेत्र के भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि — सदस्य

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
श्री सुभाष मंदापुरकर, सूत्र, — सदस्य
पी० ओ० जगजीत नगर,
सोलन–173203, हिमाचल प्रदेश

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि — सदस्य

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि — सदस्य

12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि — सदस्य

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि — सदस्य

14. प्रो० ए० एस० पुरोहित, श्रीनगर विश्वविद्यालय, श्रीनगर — सदस्य

15. डा० आर० स्वरूप, उप निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश। — सदस्य-सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल–पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल–भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि–प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) क्षेत्र के कृषि–विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह–योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर–सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य–सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा–आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी सबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

स० एम०–13043/12/87–एग्री(II)—कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र–सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार–विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक–जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार–विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा–निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र संख्या 2 : पूर्वी हिमालय क्षेत्र

आयोजन दल के सदस्य

डा० पी० सी० बोरा, कुलपति, असम कृषि विश्वविद्यालय पी० ओ० बारभेटा, जोरहाट–785013 असम। — अध्यक्ष

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

कुलपति, बिधान चन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, पी० ओ० मोहनपुर, हरिघाटा, नादिया–741252, पश्चिम बंगाल — सदस्य

3. इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन आयुक्त और राज्य कृषि सचिव

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, असम, दिसपुर

(2) सचिव (कृषि) पश्चिम बंगाल, कलकत्ता — सदस्य

(3) विकास आयुक्त सचिव, कृषि अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर — सदस्य

(4) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि मणिपुर, इम्फाल — सदस्य

(5) कृषि उत्पादन आयुक्त, मेघालय, शिलांग — सदस्य

(6) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि मिजोरम, अयजल — सदस्य

(7) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि नागालैंड, कोहिमा

(8) आयुक्त तथा सचिव, कृषि, त्रिपुरा, अगरतला

(9) सचिव, कृषि, सिक्किम, गंगटोक

4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन

(1) सचिव, पशुपालन, असम, दिसपुर	सदस्य
(2) सचिव, पशुपालन, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) सचिव, पशुपालन, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) सचिव, पशुपालन, मेघालय, शिलांग	सदस्य
(5) सचिव, पशुपालन, मणिपुर, इम्फाल	सदस्य
(6) सचिव, पशुपालन, मिजोरम, अयजल	सदस्य
(7) सचिव, पशुपालन, नागालैंड, कोहिमा	सदस्य
(8) सचिव, पशुपालन, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) सचिव, पशुपालन, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक

(1) मुख्य वन संरक्षक, असम, गुवाहाटी	सदस्य
(2) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) मुख्य वन संरक्षक, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) मुख्य वन संरक्षक, मणिपुर, इम्फाल	सदस्य
(5) मुख्य वन संरक्षक, मेघालय, शिलांग	सदस्य
(6) मुख्य वन संरक्षक, मिजोरम, अयजल	सदस्य
(7) मुख्य वन संरक्षक, नागालैंड, कोहिमा	सदस्य
(8) मुख्य वन संरक्षक, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) मुख्य वन संरक्षक, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य

6. इस क्षेत्र में सिंचाई सचिव

(1) सचिव, सिंचाई, असम, दिसपुर	सदस्य
(2) सचिव, सिंचाई, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) सचिव, सिंचाई, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) सचिव, सिंचाई, मणिपुर, इम्फाल	सदस्य
(5) सचिव, सिंचाई, मेघालय, शिलांग	सदस्य
(6) सचिव, सिंचाई, मिजोरम, अयजल	सदस्य
(7) सचिव, सिंचाई, नागालैंड, कोहिमा	सदस्य
(8) सचिव, सिंचाई, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) सचिव, सिंचाई, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि	सदस्य

9. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि

श्री नटवर ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, पी० ओ० चूचूयिमलंग जिला मोकाकचंग, नागालैंड	सदस्य
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
14. श्री सी० ऋषि, निदेशक पदमाजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	सदस्य
15. डा० पी० डी० सैकिया निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, पी० सी० बारसेटा, जोरहाट—785013 (असम)	सदस्य—सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और कालगतात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल—मिश्र कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष में) क्षेत्र के कृषि—विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह—योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर—सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य—सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं एम०-13043/12/87-एग्री(III)--कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परि-योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :--

क्षेत्र सं० 3 : निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. प्रोफेसर डी० के० दास गुप्ता, उपकुलपति — अध्यक्ष
बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
हरिघाटा (पश्चिम बंगाल)

सदस्य

2. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
कृषि उत्पादन आयुक्त
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
3. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव
सचिव, पशुपालन
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
4. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
मुख्य वन संरक्षक
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
5. इस क्षेत्र में सचिव सिंचाई
सचिव सिंचाई
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
6. क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
7. नाबार्ड का प्रतिनिधि
8. इस क्षेत्र में एन० जी० ओ० के फसल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विशेषज्ञ/प्रतिनिधि
श्री वी० एस० अग्रवाल, अध्यक्ष, ग्रामीण विकास स्थाई समिति, भारत चैम्बर आफ कामर्स, भारत चैम्बर 23, हेमन्त बासु सरनी, कलकत्ता-1
9. योजना आयोग का प्रतिनिधि
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
11. कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
13. प्रोफेसर ए० के० साहा, प्रेजीडेंसी कालेज, कलकत्ता। इस क्षेत्र में कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र के निदेशक
14. प्रो एस के बसु, निदेशक — सदस्य-सचिव
कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शान्तिनिकेतन (प० बंगाल)-731235

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :--

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रशासनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-मिश्र कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना-दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्टें, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम -13043/12/87-एग्री(IV)--कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :--

क्षेत्र सं० 4: मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. डा० कीर्ति सिंह, अध्यक्ष
कुलपति,
नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
नरेन्द्र नगर,
फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा--समस्तीपुर--बिहार--848125
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
(1) कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार सरकार, पटना।
4. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव
(1) सचिव, पशुपालन,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
(2) सचिव, पशुपालन,
बिहार सरकार, पटना
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
(2) मुख्य वन संरक्षक,
बिहार सरकार, पटना
6. इस क्षेत्र में सिंचाई सचिव
(1) सचिव सिंचाई
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
(2) सचिव सिंचाई
बिहार सरकार, पटना
7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक संघ का प्रतिनिधि
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि
9. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण, ग्रामीण विकास में संबंधित एन० जी० ओ० का विशेषज्ञ/प्रतिनिधि
श्री प्रेम भाई, निदेशक,
कृषि उद्योग संस्थान,
बनवारी सेवाश्रम,
गोविन्दपुर, मिर्जापुर जिला
उत्तर प्रदेश।
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. डा० के० एस० विलग्रामी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
15. प्रो० एस० के० दत्ता, निदेशक, सदस्य-सचिव
कृषि-आर्थिक केन्द्र, विश्वभारती विश्वविद्यालय
शान्ति निकेतन (पश्चिम बंगाल)--731235

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :--

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यभावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०—13043/12/87—एग्री(5)—कृषि मंत्रालय के कार्यकालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया था कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० 5 ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. श्री एस० एस० अहमद — अध्यक्ष
कुलपति
चन्द्र शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
   (1) कुलपति, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, नैनीताल, उत्तर प्रदेश
   (2) कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
   कृषि उत्पादन आयुक्त
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव
   सचिव, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
   मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. इस क्षेत्र में राज्य सिंचाई सचिव
   सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि
9. इस क्षेत्र में एन० जी० ओ० के फसल, फल रोपण
   ग्रामीण विकास संबंधी प्रतिनिधि
   श्री रमेश श्रीवास्तव, सर्वोदय आश्रम,
   सिकन्दरपुर, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों का प्रतिनिधि
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. प्रोफेसर जे० एन० सिंह, पारिस्थितिकी विभाग,
    बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस।
15. प्रो० ए० डी० शर्मा, मानक निदेशक — सदस्य-सचिव
    कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र
    इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
    इलाहाबाद-221002।

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूमि और भूमि जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमविधि (5 वर्ष) और दीर्घविधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एग्री(VI)—कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया था कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्र के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। गंगा पार का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं 6 : गंगा पार का मैदानी क्षेत्र

आयोजन दल के सदस्य

1. डा० हरस्वरूप सिंह — अध्यक्ष
   कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
   हिसार-12004

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति
   (1) कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
   (2) कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
   (1) विकास आयुक्त, पंजाब, चंडीगढ़
   (2) सचिव, कृषि, हरियाणा, चंडीगढ़
   (3) सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर
   (4) सचिव, कृषि, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
4. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव
   (1) सचिव, पशु पालन, पंजाब, चंडीगढ़
   (2) सचिव, पशुपालन, हरियाणा, चंडीगढ़
   (3) सचिव, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर
   (4) सचिव, पशुपालन, दिल्ली
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
   (1) मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, चंडीगढ़
   (2) मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा चंडीगढ़
   (3) मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
   (4) मुख्य वन तथा वन्य जीवन संरक्षक, दिल्ली
6. इस क्षेत्र में राज्य सिंचाई सचिव
   (1) सचिव, सिंचाई, पंजाब सरकार, चंडीगढ़
   (2) सचिव, सिंचाई, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
   (3) सचिव, सिंचाई, राजस्थान सरकार, जयपुर
   (4) सचिव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली
7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि
9. इस क्षेत्र में एन० जी० ओ० के फरल./फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित प्रतिनिधि
   श्री सुन्दर लाल एच० एम० डब्ल्यू० आर० सी०,
   पोस्ट आफिस खारी-123101 रेवाड़ी, तहसील,
   जिला महेन्द्र गढ़, हरियाणा
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
12. कृषि एवं सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. प्रो० एच० बाई० मोहन राम
    वनस्पति विज्ञान विभाग
    दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
15. डा० जे० पी० सिंह — सदस्य-सचिव
    उप निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र
    दिल्ली विश्वविद्यालय
    दिल्ली-110007

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना,

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना,

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति का सदस्य-सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्टें, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एग्री (VII)—कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० 7 : पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. श्री के० राममूर्ति, — अध्यक्ष
कुलपति, उड़ीसा कृषि तथा
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

सदस्य

2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
   (1) कुलपति, बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर—नादिया।
   (2) कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,—रांची
   (3) कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर मध्य प्रदेश
   (4) कुलपति, पुंजो राव कृषि विद्यापीठ—अकोला, महाराष्ट्र
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
   (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार—पटना
   (2) कृषि सचिव, पश्चिम बंगाल—कलकत्ता
   (3) आयुक्त तथा सचिव, कृषि, उड़ीसा, भुवनेश्वर
   (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
   (5) सचिव, कृषि, महाराष्ट्र, बम्बई
4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन
   (1) सचिव, पशुपालन, बिहार—पटना
   (2) सचिव, पशुपालन, पश्चिम बंगाल—कलकत्ता
   (3) सचिव, पशुपालन, उड़ीसा—भुवनेश्वर
   (4) सचिव, पशुपालन, मध्य प्रदेश—भोपाल
   (5) सचिव, पशुपालन, महाराष्ट्र, बम्बई।
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
   (1) बिहार मुख्य वन संरक्षक बिहार, पटना
   (2) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल
   (3) मुख्य वन संरक्षक, उड़ीसा, भुवनेश्वर
   (4) मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल
   (5) मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, पुणे
6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव, सिंचाई
   (1) सचिव, सिंचाई, बिहार सरकार, पटना
   (2) सचिव, सिंचाई, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता
   (3) सचिव, सिंचाई, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
   (4) सचिव, सिंचाई, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
   (5) सचिव, सिंचाई, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि
9. फसल/फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित क्षेत्र में एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
   (1) रामकृष्ण मिशन, रांची का प्रतिनिधि
   (2) अच्युत दास,
   एस० डब्ल्यू० आर० सी०
   पोस्ट काशीपुर,
   कोरापुट, उड़ीसा
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि
12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. डा० आर० के० कट्टी, प्रमुख, संसाधन इंजीनियरिंग अध्ययन केन्द्र, आई० आई० टी०, पोवाई, बम्बई
15. डा० टी० वी० एस० राव,
   प्रभारी निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र,
   आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर—530003

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मौसम और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच कर और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि कि उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में ... के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीम/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, चदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/लयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे सम्बन्ध हो और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति सदस्य-सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत ना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, रत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और ागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एग्री (VIII)--कृषि मंत्रालय के कार्यलन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की श्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में जना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई क में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श या गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र क्षेत्र सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषि जलवायु क्षेत्रों के धार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के स्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। धित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परिजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए ा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, येक कृषिक जलवायु के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय या गया था। मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र संबंधी योजना दल का गठन प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० 8 : मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र

आयोजन दल के सदस्य

1. डा० डी० के० शर्मा अध्यक्ष
कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म० प्र०) 482002

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
(1) कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
(2) कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
3. इस क्षेत्र में सभी राज्यों के सभी कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश—लखनऊ
(3) सचिव कृषि, राजस्थान—जयपुर
4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन
(1) सचिव, पशुपालन, मध्य प्रदेश—भोपाल
(2) सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश—लखनऊ
(3) सचिव, पशुपालन, राजस्थान—जयपुर
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक—म० प्र०—भोपाल
(2) मुख्य वन संरक्षक—उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(3) मुख्य वन संरक्षक—राजस्थान—जयपुर
6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव, सिंचाई
(1) सचिव, सिंचाई—मध्य प्रदेश—भोपाल
(2) सचिव, सिंचाई—उ० प्र०—लखनऊ
(3) सचिव, सिंचाई—राजस्थान, जयपुर
7. सहकारी, भूमि विकास बैंक फेडरेशन का प्रतिनिधि
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि
9. इस क्षेत्र में फसल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० के प्रतिनिधि
(1) श्री भारतेन्दु प्रकाश विज्ञान शिक्षा केन्द्र, तराही मुआरी गांव पोस्ट—टेंडवारी जिला—बांदा, उत्तर प्रदेश
(2) डा० डी० डी० नरूला,
53, जवाहर नगर,
टेलीफोन केन्द्र के समीप
जयपुर—302004 (फोन—64587—आवास)
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
11. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि
12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. श्री एम० वी० गुप्त, अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानव पुनर्वास तथा पर्यावरण केन्द्र भोपाल
15. डा० एम० एस० राव सदस्य-सचिव
डीन, कृषि संकाय
कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर-482004

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, बानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना,

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाली व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एग्री (ix)—कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० 9 पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र

आयोजन दल के सदस्य

1. डा० के० आर० पंवार — अध्यक्ष
कुलपति, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय,
परभानी-431402
महाराष्ट्र

सदस्य

2 इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
(1) कुलपति, एम० पी० के० राहुरी,
अहमदनगर, महाराष्ट्र
(2) कुलपति,
पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,
अकोला, महाराष्ट्र
(3) कुलपति, जे० एन० के० वी० वी०
जबलपुर, मध्य प्रदेश
(4) कुलपति,
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव
(1) सचिव, कृषि
महाराष्ट्र, बम्बई
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल
(3) सचिव, कृषि
राजस्थान,
जयपुर

4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन
(1) सचिव, पशुपालन,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
(2) सचिव, पशुपालन,
मध्य प्रदेश, सरकार
भोपाल
(3) सचिव, पशुपालन, राजस्थान सरकार,
जयपुर

5. इस क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक,
महाराष्ट्र, पुणे
(2) मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश, भोपाल
(3) मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव, सिंचाई
(1) सचिव, सिंचाई,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
(2) सचिव, सिंचाई, मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल
(3) सचिव, सिंचाई,
राजस्थान सरकार, जयपुर

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन जी ओ का प्रतिनिधि

(1) श्री एम० पी० मालके
ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, पोस्ट बाक्स नं 1202
67, हाडापसार औद्योगिक एस्टेट,
पुणे-411013

(2) प्रो० बी० एन० डंडेकर,
"ज्ञानाउबोध",
820/2, शिवाजी नगर,
पुणे-411004

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

15. श्री डी० बी० नारकर,
निदेशक, सामाजिक वानिकी,
नागपुर

15. डा० बी० एम० चित्रे — सदस्य सचिव
निदेशक
कृषि अर्थ-शास्त्र अनुसन्धान केन्द्र
गोखले राजनीति तथा अर्थ शास्त्र संस्थान
पुणे-411004

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:—

(1) मृदा भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिये फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशु पालन और क्षेत्र के लिये उपयुक्त कृषि प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिये अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य सचिव हैं

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्टें, यथा आवश्यकता, प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं एम 13043/12/87-एग्री (X):—कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिये।

2. इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिये दिशा निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र सं 10 दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. डा० एम० बी० पाटिल, — अध्यक्ष
कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
बंगलौर-560024।

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

(i) कुलपति
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
धारवाड़।

(ii) कुलपति,
आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।

(iii) कुलपति
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
कोयम्बटूर।

3. इस क्षेत्र में सभी राज्यों के सभी कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त,
कर्नाटक, बंगलौर।

(ii) कृषि उत्पादन आयुक्त,
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

(iii) आयुक्त तथा सचिव, कृषि
तमिलनाडु, मद्रास ।

4. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव

(i) सचिव, पशुपालन
कर्नाटक, सरकार, बंगलौर ।

(ii) सचिव, पशुपालन,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद ।

(iii) सचिव, पशुपालन
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास ।

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक

(i) मुख्य वन संरक्षक, कर्नाटक, बंगलौर ।

(ii) मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद ।

(iii) मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु
मद्रास ।

6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव (सिंचाई)

(i) सचिव (सिंचाई) कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।

(ii) सचिव, (सिंचाई) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

(iii) सचिव (सिंचाई) तमिलनाडु, मद्रास।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि

(i) श्री नरेन्द्र बेदी, यंग इण्डिया प्रोजेक्ट
पेनुकोंड,--515170
अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश

(ii) प्रो० आर० राधाकृष्णन,
निदेशक
आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र,
निजामिया आबजरवेटरी कैम्पस,
बेगमपेट, हैदराबाद-500016

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. प्रो० माधव गाडगिल, भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर ।

15. डा० सी० अरपुथराज
उपनिदेशक — सदस्य सचिव
कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास विश्वविद्यालय,
चेपाक, त्रिपलीकेन, मद्रास--600005 ।

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:--

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मौसमक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिये फसल पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना,

(4) फसल मिश्र कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिये उपयुक्त कृषि प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिये अपेक्षित अध्ययन- कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना ।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहें तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा, जिनसे वे सम्बन्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं० एम०--13043/12/87-ए०श्री०---कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यकलापों को क्षेत्र सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति को 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिये।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिये दिशा निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया

गया था। पूर्व तटीय, मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र II पूर्व तटीय मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र योजना दल के सदस्य

1. डा० अप्पा राव, अध्यक्ष
कुलपति,
आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
हैदराबाद–500030।

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति
(1) उप कुलपति, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
(2) कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव
(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
(2) आयुक्त तथा कृषि सचिव, तमिलनाडु, मद्रास।
(3) कृषि आयुक्त तथा सचिव, उड़ीसा भुवनेश्वर।
(4) सचिव (कृषि), पाण्डिचेरी, पाण्डिचेरी।

4. इस क्षेत्र में सचिव (पशु पालन)।
(1) सचिव (पशु पालन) आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
(2) सचिव (पशु पालन) तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
(3) सचिव (पशु पालन) उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
(4) सचिव (पशु पालन) पाण्डिचेरी, प्रशासन, पाण्डिचेरी।

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
(2) मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु, मद्रास।
(3) मुख्य वन संरक्षक, उड़ीसा, भुवनेश्वर।
(4) मुख्य वन संरक्षक/वन तथा वन्य जीवन अधिकारी पाण्डिचेरी, प्रशासन, पाण्डिचेरी।

6. इस क्षेत्र में सचिव (सिंचाई)
(1) सचिव (सिंचाई) आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
(2) सचिव (सिंचाई) तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
(3) सचिव (सिंचाई) उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
(4) सचिव (सिंचाई) पाण्डिचेरी प्रशासन, पाण्डिचेरी।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल/फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
(1) डा० परमेश्वर राव, बी० सी० टी० चेलामन चिलार्ड, विशाखापत्तनम, 531055।
(2) प्रो० परमेश्वर राव, प्रो० इमेरिटस आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० ए० चौधरी, जीव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय 35 बालीगंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता–700019

15. डा० टी० वी० एस० राव, प्रभारी निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, 53003—सदस्य सचिव

योजना दल के विचारार्थ विषय ये होंगे:—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीन क्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिये फसल पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिये उपयुक्त कृषि प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा, जिनसे वे सम्बन्ध हों, और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा आवश्यकता प्रस्तुत कर सकेगा है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं० एम० 13043/12/87–एग्री (xii):—कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र 12 पश्चिम तटीय मैदान तथा घाट क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य

1. डा० एस० श्री० कादरेकर — अध्यक्ष
कुलपति,
कोंकण कृषि विश्वविद्यालय,
दापाली—415712।

सदस्य

2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति
(1) कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेलनीक्करा, त्रिचूर।
(2) कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
(3) कुलपति, यू० ए० एस०, धारवाड़, कर्नाटक।

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव
(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, केरल, त्रिवेन्द्रम।
(2) कृषि सचिव, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, कर्नाटक, बंगलौर।
(4) सचिव (कृषि) गोवा सरकार, पणजी।

4. इस क्षेत्र में सचिव (पशुपालन)
(1) सचिव, (पशु पालन) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
(2) सचिव, (पशु पालन), कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
(3) सचिव, (पशु पालन) महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
(4) सचिव, (पशु पालन) गोवा सरकार, पणजी।

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
(1) मुख्य वन संरक्षक, केरल, त्रिवेन्द्रम।
(2) मुख्य वन संरक्षक, कर्नाटक, बंगलौर।
(3) मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, पुणे।
(4) मुख्य वन संरक्षक, गोवा, पणजी।

6. इस क्षेत्र में सचिव (सिंचाई)
(1) सचिव, (सिंचाई) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
(2) सचिव (सिंचाई) कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
(3) सचिव (सिंचाई) महाराष्ट्र सरकर, बम्बई।
(4) सचिव (सिंचाई) गोवा सरकार, पणजी।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल/फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
श्री बसन्त गंगवाने, गोकुल प्रकल्प प्रतिष्ठान,- 2150 जुवेकर हाउस राम मन्दिर के पीछे, रत्नगिरि पाकेट डा० बी० इकबाल, के० । स० एम० पी० परिषद भवन, त्रिवेन्द्रम—685937।

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० एन० बालाकृष्णन नायर, अध्यक्ष, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित राज्य समिति, योजना तथा आर्थिक कार्य विभाग, सचिवालय, त्रिवेन्द्रम—695001।

15. प्रो० एस० जी० हनुमन्त, अध्यक्ष, ए० डी० आर० टी० एकक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर—560072 — सदस्य सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीन क्षेत्रों और अन्य सम्बन्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में सघन सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिए फसल पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना,

(4) फसल भिन्न कृषि, बागिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि प्रोसेसिंग, क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष), और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों के संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठक के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाय, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य सचिव हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं० एम० 13043/12/87—एग्री (xiii).—कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई

बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजना का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि-सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र 13 गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र योजना दल के सदस्य

1. श्री आर० पार्थसारथी,
कुलपति, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
सरदार कृषि नगर, दांती वाडा—बनासकांठा—385506

सदस्य

2. सचिव कृषि गुजरात सरकार,
गांधी नगर
3. सचिव, पशुपालन गुजरात सरकार,
गांधी नगर
4. मुख्य वन संरक्षक गुजरात सरकार
बडोदरा
5. सचिव, सिंचाई, गुजरात सरकार,
गांधीनगर
6. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि
7. नाबार्ड का प्रतिनिधि
8. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० के प्रतिनिधि
   (1) डा० विमल शाह, मार्फत गुजरात इंस्टीट्यूट आफ एरिया प्लानिंग, गांधीनगर राजमार्ग, अहमदाबाद—380054
   (2) श्री नवल भाई शाह मार्फत अभ्यासकुम और आयोजन ट्रस्ट, अमरनाथ सोसाइटी, नारायणपुर चार रास्ता, अहमदाबाद—380016
   (3) श्री वी पटेल, सुरेन्द्र फार्म्स, भावनगर
9. योजना आयोग का प्रतिनिधि
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
11. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
13. प्रो० एम० सी० पांड्या, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात
14. प्रो० महेश पाठक, मानद निदेशक, एग्रो इकनामिक रिसर्च सेंटर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर—388120 (गुजरात) सदस्य-सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—
   (1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;
   (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
   (3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
   (4) फसल-भिन्न कृषि, बागिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;
   (5) सध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार कर और उनकी सिफारिशें करना;
   (6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना,
   (7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति संबंधी उपायों विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;
   (8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना;

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के संबंध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्टों, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०—13043/12/87—एग्री (XIV)—कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र 14 पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य

1. डा० के० एन० ना० — अध्यक्ष
   कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
   बीकानेर—334001
   सदस्य
2. सचिव, कृषि सहकारिता,
   राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, पशुपालन,
   राजस्थान, जयपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान,
   जयपुर
5. सचिव, सिंचाई,
   राजस्थान सरकार, जयपुर
6. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास
   बैंकों का प्रतिनिधि
7. नाबार्ड का प्रतिनिधि
8. इस क्षेत्र में फसल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित
   एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
   (1) श्री संजीत (बुनकर) राय, एस० डब्ल्यू० आर० सी०,
   पी० ओ० तिलोनिया—305816, जिला अजमेर, राजस्थान
9. योजना आयोग का प्रतिनिधि
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
11. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
13. डा० ईश्वर प्रकाश, निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र
    अनुसंधान संस्थान (सी० ए० जैड० आर० आई०)
    जोधपुर, राजस्थान—342003
14. प्रो० महेश पाठक, मानद निदेशक,
    कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र सरदार पटेल
    विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर—385120 — सदस्य-सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोसेसिंग कियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना;

5. योजना दल का अध्यक्ष यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के संबंध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव हैं

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं एम०-13043/12/87-एग्री(XV)—कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था द्वीप समूह क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं 15 द्वीपसमूह क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य

1. डा० आई० पी० अग्रोल, — अध्यक्ष
   उप महानिदेशक,
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्,
   कृषि भवन, नई दिल्ली—110 001
   सदस्य
2. (1) सचिव, कृषि
   अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह,
   पोर्टब्लेयर

(2) प्रशासक/निदेशक कृषि
लक्षद्वीप, कवरेत्ती

3. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन

(1) सचिव, पशुपालन
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
पोर्टब्लेयर

(2) प्रशासक/निदेशक,
पशुपालन मत्स्य पालन,
लक्षद्वीप, कवरेत्ती

4. इस क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक

(1) मुख्य वन संरक्षक,
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन,
पोर्टब्लेयर

(2) वन तथा वन्य जीवन अधिकारी
लक्षद्वीप कवरेत्ती

5. इस क्षेत्र में राज्य सिंचाई सचिव

(1) सचिव, सिंचाई
अंडमान निकोबार प्रशासन

(2) प्रशासक
लक्षद्वीप कवरेत्ती

6. इस क्षेत्र संघ से
सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

7. नाबार्ड का प्रतिनिधि

8. योजना आयोग का प्रतिनिधि

9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

10. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

11. डा. सतीश चन्द्रन नैयर,
शान्ति बेलहेवेन गार्डन
त्रिवेन्द्रम, केरल

12. डा. सी. अर्थयराज सदस्य-सचिव
उप निदेशक,
एग्रो इकोनोमिक
रिसर्च सेंटर,
मद्रास विश्वविद्यालय,
चेपाक त्रिपलीकेन,
मद्रास-600 005

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मृदा, भूतल और भूगत जल फसल, पद्धति, पशुओं मीनक्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रभावशाली आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फसल-मिश्र कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों विशेष रूप से विकास संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अन्य कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6 इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7 योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव हैं।

8 योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्टें यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक, 7 जुलाई, 1988

संकल्प

सं. एम०-13043/12/87-कृषि—यह निर्णय लिया गया है कि सचिव (जल संसाधन), सचिव (अन्तरिक्ष) और सचिव (ग्रामीण विकास) भी योजना आयोग के समसंख्यक संकल्प दिनांक 27 नवम्बर, 1987 के द्वारा कृषि-जलवायु संबंधी क्षेत्रों पर आधारित कृषि आयोजन संगठित करने के लिए गठित केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे।

उपरोक्त सदस्यों सहित केन्द्रीय समिति का गठन अब इस प्रकार होगा :—

1. सदस्य (कृषि), योजना आयोग	अध्यक्ष
2. सचिव (कृषि एवं सहकारिता)	सदस्य
3. सचिव (पर्यावरण और वन)	सदस्य
4. सचिव (कृषि अनुसंधान और शिक्षा)	सदस्य
5. सचिव (योजना)	सदस्य
6. सचिव (व्यय)	सदस्य
7. सचिव (जल संसाधन)	सदस्य
8. सचिव (अन्तरिक्ष)	सदस्य
9. सचिव (ग्रामीण विकास)	सदस्य
10. सलाहकार (कृषि) योजना आयोग	संयोजक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष सभी सदस्यों भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र ..., निदेशक (प्रशास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1988

सं एफ 1-6/88 टी०-13-अशैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन पर भारत सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान सलेम/वाराणसी/गोहाटी द्वारा प्रदान किया गया हस्तशिल्प में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त क्षेत्र में अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में रोजगार के लिए तत्काल से मान्यता प्रदान करती है।

सुन्दर सिंह, उप शिक्षा सलाहकार (टी)

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अगस्त 1988

सं 23-6/87-एस आई०--राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि 1 जून 1988 से डाक जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा से संबंधित नियमों में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :---

उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियम 43 के अन्त में दिनांक 1-11-87 से संशोधित 5000/- रुपये के बीमे के लिए मासिक प्रीमियम सहित बंदोबस्ती बीमे से संबंधित मौजूदा सारणी-II के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी ।

सारणी--II

डाकघर बीमा निधि--1 जून, 1988 से लागू प्रीमियम

बन्दोबस्ती बीमा

5,000/- रु के बीमे के लिए मासिक प्रीमियम

पालिसी लेते समय आयु	आयु जिस पर पालिसी परिपक्व होनी है।					
	35 वर्ष (रु०)	40 वर्ष (रु०)	45 वर्ष (रु०)	50 वर्ष (रु०)	55 वर्ष (रु०)	58 वर्ष (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
19	26	19	15	12	10	9
20	27	20	16	13	10	10
21	29	21	16	13	11	10
22	32	22	17	14	11	10
23	35	24	18	14	12	10
24	38	26	19	15	12	11
25	42	27	20	16	13	11
26	47	29	21	16	13	12
27	53	32	22	17	14	12
28	61	35	24	18	14	13
29	72	38	26	19	15	13
30	86	42	28	20	16	14
31	..	47	30	21	17	15
32	..	53	32	23	17	15
33	..	61	35	24	18	16
34	..	72	38	26	19	17
35	..	86	42	28	20	18
36	..	..	47	30	22	19
37	..	..	53	32	23	20
38	..	..	61	35	25	21
39	..	..	72	39	26	22
40	..	..	87	43	28	23
41	..	..	..	48	30	25
42	..	..	..	54	33	27
43	..	..	..	62	36	29
44	..	..	..	72	39	31
45	..	..	..	87	43	33
46	..	..	..	..	48	36
47	..	..	..	..	55	40
48	..	..	..	..	63	44
49	..	..	..	..	73	49
50	..	..	..	..	88	55

टिप्पणी :---1. उपर्युक्त सारिणी के प्रयोजन के लिए "पालिसी लेते समय की आयु" से अभिप्राय उस आयु से है जो प्रथम प्रीमियम के भुगतान की तारीख के बाद अगले जन्म दिन पर है।

2 20,000/- रु और उससे अधिक रु की पालिसी के लिए प्रत्येक बीस हजार की बीमाकृत राशि के लिए 1/- रु प्रति मास की छूट स्वीकार्य है।

3. सारिणी के प्रयोजन के लिए "पालिसी लेते समय न्यूनतम आयु" 19 वर्ष होगी और अधिकतम 50 वर्ष होगी।

4. न्यूनतम बीमाकृत राशि 10,000/- रु होगी किन्तु सभी श्रेणियों में किए गए बीमों की राशि का कुल योग एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

5. पालिसियां 5,000/- रु के यूनिट में ली जा सकती है लेकिन बीमाकृत राशि 10,000/- रु से कम नहीं होगी।

(श्रीमती) ज्योत्सना धीश,
निदेशक (पी० एल० आई०)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 1988

संकल्प

सं हिंदी/समिति/88/38/5---रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 16-1-87 तथा समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या हिंदी/समिति/86/38/6 के अधीन रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संदर्भ में यह निर्णय किया गया है कि इस संकल्प में उल्लिखित जहां-जहां 'गैर-सरकारी सदस्य' शब्द का प्रयोग किया गया है वहां उसके स्थान पर केवल 'सदस्य' पढ़ा जाये तथा भविष्य में 'गैर-सरकारी सदस्यों' को केवल 'सदस्य' कह कर सम्बोधित किया जाये

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सतीश मोहन वैश, सचिव, रेलवे बोर्ड

PLANNING COMMISSION

New Delhi-1, the June 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12(7)87-Agri.—Subsequent to Dr. N. Patnaik taking over charge from Shri K. Ramamurthy, as Vice Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar, Shri Patnik will be the Chairman of the Planning Team for Zone No. 7 : Eastern Plateau and Hill Regions constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of Indina for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12(10)87-Agri.—Subsequent to Dr. Ramakrishna taking over charge from Dr. S. V. Patil as Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore, Dr. Ramakrishna will be the Chairman of the Planning Team for Zone No. 10 : Southern Plateau and Hills Region constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June 1988 with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 3rd June 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(1).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, *inter-alia*, a decision was taken to set up Zone Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Western Himalayan Region is as follows :—

ZONE NO. 1 : *Western Himalayan Region*

Members of the Planning Team

Chairmen

1. Dr. Mahatim Singh, Vice Chancellor of the University of Agriculture & Technology, Pant Nagar, Uttar Pradesh.

2. *Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone* :

Members

(i) Vice Chancellor, Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, Palampur-176002, Himachal Pradesh.

(ii) Vice Chancellor, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan-173230, Himachal Pradesh.

(iii) Vice Chancellor, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Srinagar.

3. *SPC's and Agriculture Secretaries in the Zone* :

Members

(i) Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001, Uttar Pradesh.

(ii) Agriculture Production Commissioner, Jammu and Kashmir, Srinagar-190 001, J&K.

(iii) Additional Chief Secretary, Department of Agriculture, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

4. *Secretaries, Animal Husbandry in the Zone* :

Members

(i) Secretary, Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.

(ii) Secretary, Animal Husbandry, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Secretary, Animal Husbandry, Jammu & Kashmir, Srinagar-190001.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone* :

Members

(i) Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001.

(ii) Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Chief Conservator of Forests, J&K, Srinagar-190 001.

6. *Secretaries, Irrigation in the Zone* :

Members

(i) Secretary, Irrigation, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001.

(ii) Secretary, Irrigation, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Secretary, Irrigation, Jammu & Kashmir, Srinagar-190 001.

7. Representative of Land Development Banks of the Region.

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region* :

Members

Shri Sughasb Mandhapurkar, Sutra, P.O. Jagajit Nagar, Solan-173 203, H. P.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Deptt .of Agri. & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Prof. A. S. Purohit, Srinagar University, Srinagar.

Member-Secretary

15. Dr. R. Swarup, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, Himachal Pradesh, University, Shimla, HP.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(II).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programme of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commision in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, *inter -alia*, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Eastern Himalayan Region* is as follows :

ZONE NO. 2 : Eastern Himalayan Region

Members of the Planning Team

Chairmen

1. Dr. P. C. Bora, Vice Chancellor, Assam Agriculture University PO Barbhota, Jorhat-785-015, Assam.

B. *Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone* :

Member

Vice Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, PO Mohanpur, Haringhata, Nadia 741 252, West Bengal.

3. *SPCs and Agriculture Secretaries of the States of the Zone* :

Members

(i) Agriculture Production Commissioner, Assam, Dispur.

(ii) Secretary (Agriculture), West Bengal, Calcutta.

(iii) Development Commissioner/Secretary, Agriculture Arunachal Pradesh, Itanagar.

(iv) Development Commissioner/Secretary, Agriculture Manipur, Imphal.

(v) Agriculture Production Commissioner, Meghalaya, Shillong.

(vi) Development Commissioner/Secretary, Agriculture, Misoram, Aizawl.

(vii) Development Commissioner/Secretary, Agriculture, Nagaland, Kohima.

(viii) Commissioner-cum-Secretary, Agriculture, Tripura, Agartala.

(ix) Secretary, Agriculture, Sikkim, Gangtok.

4. *Secretaries, Animal Husbandry in the Zone* :

Members

(i) Secretary, Animal Husbandry, Assam, Dispur.

(ii) Secretary, Animal Husbandry, West Bengal, Calcutta.

(iii) Secretary, Animal Husbandry, Arunachal Pradesh, Itanagar.

(iv) Secretary, Irrigation, Manipur, Imphal.

(v) Secretary, Animal Husbandry, Manipur, Imphal.

(vi) Secretary, Animal Husbandry, Misoram, Aiswal.

(vii) Secretary, Animal Husbandrly, Nagaland, Kohima.

(viii) Secretary, Animal Husbandry, Tripura, Agartala.

(ix) Secretary, Animal Husbandry, Sikkim, Gangtok.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone* :

Members

(i) Chief Conservator of Forests, Assam, Guwahati.

(ii) Chief Conservator of Forests, West Bengal, Calcutta.

(iii) Chief Conservator of Forests, Arunachal Pradesh, Itanagar.

(iv) Chief Conservator of Forests, Manipur, Imphal.

(v) Chief Conservator of Forests, Meghalaya, Shillong.

(vi) Chief Conservator of Forests, Mizoram, Aizawal.

(vii) Chief Conservator of Forests, Nagaland, Kohima.

(viii) Chief Conservator of Forests, Tripura, Agartala.

(ix) Chief Conservator of Forests, Sikkim, Gangtok.

6. *Secretaries of Irrigation in the Zone* :

(i) Secretary, Irrigation, Assam, Dispur.

(ii) Secretary, Irrigation, West Bengal, Calcutta.

(iii) Secretary, Irrigation, Arunachal Pradesh, Itanagar.

(iv) Secretary, Irrigation, Manipur, Imphal.

(v) Secretary, Irrigation, Meghalaya, Shillong.

(vi) Secretary, Irrigation, Mizoram, Aizawal.

(vii) Secretary, Irrigation, Nagaland, Kohima.

(viii) Secretary, Irrigation, Tripura, Agartala.

(ix) Secretary, Irrigation, Sikkim, Gangtok.

7. Representative of Cooperative Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region* :

MEMBERS

Shri Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram P.O. Chuchuyinlang Distt. Mokakchung, Nagaland.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Shri V. Rishi, Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, W.B.

MEMBER-SECRETARY

15. Dr. P. D. Saikia, Director, Agro-Economic Research Centre, Assam Agriculture University, P.O. Barbhete, Jorhat-785 015, Assam.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the sole of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(III).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the cntral Committee, *inter-alia*, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Lower Gangetic Plains* Region is as follows :

Zone No. 3 : Lower Gangetic Plains Region

Members of the Planning Team

1. Prof. D. K. Das Gupta, Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Haringhata (West Bengal).

MEMBERS

2. *APCs & Agri. Secretaries in the Zone*
Agriculture Production Commissioner, Govt. of West Bengal, Calcutta.

3. *Secretary Animal Husbandry in the Zone*
Secretary Animal Husbandry, Govt. of West Bengal, Calcutta.

4. *Chief Conservators of Forests in the Zone*
Chief Conservator of Forests, Govt. of West Bengal, Calcutta.

5. *Secretary Irrigation in the Zone*
Secretary Irrigation, Govt. of West Bengal, Calcutta.

6. Representative of the Coop. Land Development Bank in the Zone.

7. Representative of NABARD.

8. *Specialist/representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region.*
Shri V. S. Agarwal, Chairman, Rural Development Standing Committee, Bharat Chamber of Commerce, Bharat Chambers, 28, Hemant Basu Sarni, Calcutta-1.

9. Representative of the Planning Commission.

10. Representative of the ICAR.

11. Representative of the Department of Agriculture & Coop.

12. Representative of the Ministry of Water Resources.

13. Prof. A. K. Saha, Presidency College, Calcutta.

Director of Agro-Economic Research Centre in the Zone Member-Secretary

14. Prof. S. N. Datta, Director of Agro-Economic Research Centre, Vishwbharati University, Shantiniketan, West Bengal-751235.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes:

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.IV.—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Middle Gangetic* Plains Region is as follows :

Zone No. 4 : Middle Gangetic Plains Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. Kirti Singh, Vice-Chancellor, Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar, Faizabad (U.P.).

MEMBERS

2. Vice-Chancellors of other Agrl. Universities in the *Zone*
   Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural University, Pusa—Samastipur—Bihar—848125.
3. *APCs and Agri. Secretaries in the Zone*
   (i) Agriculture Production Commissioner, Govt. of U.P., Lucknow.
   (ii) Agriculture Production Commissioner, Govt. of Bihar, Patna.
4. *Secretaries Animal Husbandry in the Zone*
   (i) Secretary Animal Husbandry, Govt. of U.P., Lucknow.
   (ii) Secretary Animal Husbandry, Govt. of Bihar, Patna.
5. *Chief Conservators of Forests in the Zone*
   (i) Chief Conservator of Forests, Govt. of U.P. Lucknow.
   (ii) Chief Conservator of Forests, Govt. of Bihar, Patna.
6. *Secretaries Irrigation in the Zone*
   (i) Secretary Irrigation, Govt. of U.P. Lucknow.
   (ii) Secretary Irrigation, Govt. of Bihar, Patna.
7. Representative of Coop. Land Development Bank's Federation in the Zone.
8. Representative of NABARD.
9. *Specialist/representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region*
   Shri Prem Bhai, Director, Agrindus Institute, Banwari Sewashram, Govindpur, Mirzapur Distt., U.P.
10. Representative of the Planning Commission.
11. Representative of the ICAR.
12. Representative of the Department of Agriculture & Coop.
13. Representative of the Ministry of Water Resources.
14. Dr. K. S. Bilgrami, Bhagalpur University, Bhagalpur.

Member-Secretary

15. Prof. S. K. Datta, Director, Agro-Economic Centre, Vishwabharati University, Shantiniketan (West Bengal)—731235.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(V).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Upper Gangetic Plains* Region is as follows

Zone No. 5 Upper Gangetic Plains Region
Members of the Planning Team

CHAIRMAN

1. Shri S. S. Ahmed,
Vice-Chancellor, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, Uttar Pradesh.

MEMBERS

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone*

(i) Vice-Chancellor of Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar, Nainital, Uttar Pradesh.

(ii) Vice-Chancellor, Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad, Uttar Pradesh.

3. *APCs and Agriculture Secretaries in the State*
Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

4. Secretary, Animal Husbandry in the Zone, Secretary, Animal Husbandry, Uttar Pradesh Lucknow.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone, Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow.

6. State Secretary, Irrigation in the Zone, Secretary, Irrigation, Uttar Pradesh, Lucknow.

7. Representative of Cooperative Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD

9. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit, plantation rural development in the region*
Shri Ramesh Srivastava, Sarvodaya Ashram, Sikandarpur, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh.

10. Representative of the Planning Commission

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture and Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Prof. J. S. Singh, Department of Ecology, Banaras Hindu University, Banaras.

Member-Secretary

15. Prof. A. D. Sharma, Honv. Director, Agri-Economic Research Centre, University of Allahabad, Allahabad-221 002.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the agro-processing activities suitable for the region in the medium (5 years) as wel as longterm (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri. (VI).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Trans-Gangetic Plains* Region is as follows :—

Zone No. 6 : Trans-Gangetic Plains Region
Members of the Planning Team

CHAIRMAN

1. Dr. Har Swroop Singh
Vice-Chancellor, Haryana Agricultural University
Hissar-12004.

MEMBERS

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone
   (i) Vice Chancellor, Punjab Agricultural University Ludhiana.
   (ii) Vice-Chancellor, Rajasthan Agricultural University Bikaner.
3. APCs & Agriculture Secretaries in the Zone
   (i) Development Commissioner, Punjab, Chandigarh.
   (ii) Secretary, Agriculture, Haryana, Chandigarh.
   (iii) Secretary, Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
   (iv) Secretary, Agriculture, Delhi Administration, Delhi.
4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone
   (i) Secretary, Animal Husbandry, Punjab, Chandigarh.
   (ii) Secretary, Animal Husbandry, Haryana, Chandigarh.
   (iii) Secretary, Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.
   (iv) Secretary, Animal Husbandry, Delhi.
5. Chief Conservators of Forests in the Zone
   (i) Chief Conservator of Forests, Punjab, Chandigarh.
   (ii) Chief Conservator of Forests, Haryana, Chandigarh.
   (iii) Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.
   (iv) Chief Conservator of Forests & Wildlife, Delhi.
6. State Secretaries, Irrigation in the Zone
   (i) Secretary, Irrigation, Government of Punjab, Chandigarh.
   (ii) Secretary, Irrigation, Government of Haryana, Chandigarh.
   (iii) Secretary, Irrigation, Government of Rajasthan, Jaipur.
   (iv) Secretary, Irrigation & Flood Control, Delhi.
7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone
8. Representative of NABARD.
9. Representative of NGOs concerned with crop. fruit, plantation/rural development in the region.
   (i) Sunder Lal, RSWRC, Post Office, Khari-123101.
   (ii) Rewari, Tehsil, Distt. Mohindergarh, Haryana.
10. Representative of the Planning Commission.
11. Representative of the Indian Council of Agricultural Research.
12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.
13. Representative of the Ministry of Water Resources.
14. Prof. H. Y. Mohan Ram, Department of Botany, Delhi University, Delhi.

MEMBER-SECRETARY

15. Dr. J. P. Singh, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, Delhi University, Delhi-110007.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri. (VII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the Concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for

each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Eastern Plateau and Hills* Region is as follows :

Zone No. 7 : Eastern Plateau and Hill Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Shri K. Ramamurthy,
Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology,
Bhubaneshwar.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone
   (i) Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya Mohanpur—Nadia.
   (ii) Vice-Chancellor, Birsa Agricultural University—Ranchi.
   (iii) Vice-Chancellor, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya—Raipur, M.P.
   (iv) Vice-Chancellor Punjab Rao Krishi Vidyalaya Akola, Maharashtra.
3. APCs & Agriculture Secretaries in the Zone
   (i) Agriculture Production Commissioner, Bihar, Patna.
   (ii) Secretary Agriculture, West Bengal—Calcutta.
   (iii) Commissioner-cum-Secretary Agriculture, Orissa—Bhubneshwar.
   (iv) Agriculture Production Commissioner, Madhya Pradesh—Bhopal.
   (v) Secretary, Agriculture Maharashtra—Bombay.
4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone
   (i) Secretary, Animal Husbandry, Bihar—Patna.
   (ii) Secretary, Animal Husbandry, West Bengal—Calcutta.
   (iii) Secretary, Animal Husbandry, Orissa—Bhubneshwar.
   (iv) Secretary, Animal Husbandry, Madhya Pradesh Bhopal.
   (v) Secretary, Animal Husbandry, Maharashtra—Bombay.
5. Chief Conservators of Forests in the Zone
   (i) Chief Conservator of Forests Bihar—Patna.
   (ii) Chief Conservator of Forests West Bengal, Calcutta.
   (iii) Chief Conservator of Forests Orissa, Bhubaneshwar.
   (iv) Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh—Bhopal.
   (v) Chief Conservator of Forests—Maharashtra—Pune.
6. State Secretaries, Irrigation in the Zone
   (i) Secretary, Irrigation, Govt. of Bihar—Patna.
   (ii) Secretary, Irrigation, Govt. of West Bengal—Calcutta.
   (iii) Secretary, Irrigation, Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
   (iv) Secretary, Irrigation, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
   (v) Secretary, Irrigation, Govt. of Maharashtra, Bombay.
7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone
8. Representative of NABARD.
9. Representatives of NGOs concerned with crop, fruit, plantation/rural development in the region.
   1. Representative of Ramakrishna Mission, Ranchi.
   2. Achyut Das
   S.W.R.C.
   P.O. Kashipur,
   Koraput—Orissa
10. Representative of the Planning Commission.
11. Representative of the Indian Council of Agricultural Research.
12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.
13. Representative of the Ministry of Water Resources.
14. Dr. R. K. Kutti, Head, Centre for studies in Resources Engineering, IIT, POWAI, Bombay-400076.

Member-Secretary

15. T. V. S. Rao,
Incharge-Director,
Agro-Economic Research Centre,
Andhra University,
Waltair-530003.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 o 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(VIII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Central Plateau and Hills* Region is as follows :

Zone No. 8 : Central Plateau and Hills Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. D. K. Sharma
Vice-Chancellor of Jawahar Lal Nehru
Krishi Vishwavidyalaya,
Jabalpur (M.P.)
482004.

Members

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.*

(i) Vice-Chancellor,
Chandrashekar Azad University of Agriculture & Technology,
Kanpur.

(ii) Vice Chancellor,
Rajasthan,
Agricultural University,
Bikaner.

3. *All APCs and Agriculture Secretaries of all the States in the Zone.*

(i) Agriculture Production Commissioner,
Madhya Pradesh,
Bhopal.

(ii) Agriculture Production Commissioner,
Uttar Pradesh,
Lucknow.

(iii) Secretary Agriculture,
Rajasthan,
Jaipur.

4. *Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.*

(i) Secretary, Animal Husbandry,
Madhya Pradesh,
Bhopal.

(ii) Secretary,
Animal Husbandry,
Uttar Pradesh,
Lucknow.

(iii) Secretary, Animal Husbandry,
Rajasthan,
Jaipur.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone.*

(i) Chief Conservator of Forests,
M. P., Bhopal.

(ii) Chief Conservator of Forests,
U.P., Lucknow.

(iii) Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

6. *State Secretary, Irrigation in the Zone.*

(i) Secretary Irrigation,
M.P., Bhopal.

(ii) Secretary Irrigation,
U.P., Lucknow.

(iii) Secretary Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

7. Representative of Coop. Land Development Banks Federation.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit *plantation/rural development in the region.*

(i) Shri Bhartandu Prakash Vigyan,
Shiksha Kendra, Tarahi Musil Village,
P.O. Tandwani, Distt. Banda, U.P.

(ii) Dr. D. D. Narula,
53, Jawahar Nagar,
Near Telephone Exchange,
Jaipur-302004
Tel. No. : 64587 (Res.)

10. Representative of the Plannnig Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Shri M. V. Buch,
Chairman,
National Centre for Human Settlement and Environment, Bhopal.

15. Dr. M. M. Rai,
Dean, Faculty of Agriculture,
Agri-Economic Research Centre,
J. K. Krishi Vishwavidayalaya,
Jabalpur-482414.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTIONS

No. M-13043/12/87-Agri.(IX).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Western Plateau and Hills* Region is as follows :

Zone No. 9 : Western Plateau and Hills Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. K. R. Pawar
Vice-Chancellor,
Marathwada Krishi Vishwavidalaya,
Parbhani-431402.
Maharashtra.

Members

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.*

(i) Vice-Chancellor, M. P. K. Raburi
Ahmedanagar,
Maharashtra.

(ii) Vice Chancellor,
Punjabrao Krishi Vidyapeeth,
Akola,
Maharashtra.

(iii) Vice-Chancellor, J.N.K.V.V.
Jabalpur,
Madhya Pradesh.

(iv) Vice-Chancellor,
Rajasthan Agricultural University,
Bikaner.

3. *APCs and Agriculture Secretaries of the Zone*

(i) Secretary, Agriculture,
Maharashtra,
Bombay.

(ii) Agriculture Production Commissioner,
Madhya Pradesh,
Bhopal

(iii) Secretary-Agriculture,
Rajasthan,
Jaipur.

4. *Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.*

(i) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Maharashtra,
Bombay.

(ii) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

(iii) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone.*

(i) Chief Conservator of Forests,
Maharashtra,
Pune.

(ii) Chief Conservator of Forests,
Madhya Pradesh,
Bhopal.

(iii) Chief Conservator of Forests,
Rajasthan,
Jaipur.

6. *State Secretaries, Irrigation in the Zone.*

(i) Secretary, Irrigation,
Government of Maharashtra,
Bombay.

(ii) Secretary, Irrigation,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

(iii) Secretary, Irrigation,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

7. *Representative of Coop. Land Development Banks in the Zone.*

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of NGOs concerned with crop., fruit plantation/rural development in the region.*

(i) Shri S. P. Salunke,
Area Gaurav Pratishtha, P.B. No. 1202,
67, Hadapsar Industrial Estate,
Pune (M.S.)-11013.

(ii) Prof. P. N. Bendakar,
"KUNANBANT"
820/2, Shivaji Nagar,
Pune-411 004.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Shri D. V. Harnkar,
Director, Social Forestry,
Nagpur.

Member-Secretary

15. Dr. V. S. Chitre,
Director,
Agro-Economic Research Centre,
Goghale Institute of Politics & Economics,
Pune-411 004.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/ Ministries/ State Governments/ Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri.(X).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Southern Plateu and Hills* Region is as follows :

Zone No. 10. Southern Plateau and Hills Region
Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. S. V. Patil,
Vice-Chancellor of the University of Agricultural Sciences,
Bangalore-560024.

Members

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.*

(i) Vice-Chancellor,
University of Agricultural Sciences,
Madras.

(ii) Vice-Chancellor,
Andhra Pradesh Agricultural University,
Rajendra Nagar,
Hyderabad.

(iii) Vice-Chancellor,
Tamil Nadu Agricultural University,
Coimbatore.

3. *All APCs and Agricultural Secretaries of all the States in the Zone.*

(i) Agricultural Production Commissioner,
Karnataka,
Bangalore.

(ii) Agricultural Production Commissioner,
Andhra Pradesh,
Hyderabad.

(iii) Commissioner & Secretary Agriculture,
Tamil Nadu,
Madras.

4. *Secretaries Animal Husbandry in the Zone.*

(i) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Karnataka,
Bangalore.

(ii) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad,

(iii) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone*

(i) Chief Conservator of Forests,
Karnataka.
Bangalore.

(ii) Chief Conservator of Forests,
Andhra Pradesh,
Hyderabad.

(iii) Chief Conservator of Forests,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

6. *State Secretaries, Irrigation in the Zone.*

(i) Secretary, Irrigation,
Government of Karnataka,
Bangalore.

(ii) Secretary, Irrigation,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.

(iii) Secretary, Irrigation,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

7. *Representative of Co-op. Land Development Banks in the Zone.*

8. *Representative of NABARD.*

9. *Representative of NGOs concerned with crop., fruit Plantation/fruit development in the region.*

(i) Mr. Nainder Bedi,
Young India's Project, Penukonda-515170
Anantpur District,
Andhra Pradesh.

(ii) Prof. R. Radhakrishnan,
Director,
Centre for Economic & Social Studies,
Ninsnia Conservatory Campus,
Begumpet,
Hyderabad-500016.

10. *Representative of the Planning Commission.*

11. *Representative of the ICAR.*

12. *Representatives of the Department of Agriculture & Cooperation.*

13. *Representative of the Ministry of Water Resources.*

14. Prof. Madhav Godgil,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

Member-Secretary

15. Dr. C. Arputheraj
Deputy Director,
Agro-economic Research Centre,
University of Madras,
Chepauk: Triplicane,
Madras-600005.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri.(XI).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programme of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1980. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *East Coast Plains and Hills* Region is as follows :

Zone No. 11 : East Coast Plains and Hills Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. Appa Rao,
Vice-Chancellor,
Andhra Pradesh Agricultural University,
Hyderabad-500030.

Members

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone*

(i) Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar.

(ii) Vice-Chancellor, Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore.

3. *APCs and Agriculture Secretaries in the Zone*

(i) Agriculture Production Commissioner, Andhra Pradesh, Hyderabad

(ii) Commissioner & Agriculture Secretary, Tamil Nadu, Madras.

(iii) Agriculture Commissioner-cum-Secretary, Orissa, Bhubaneshwar.

(iv) Secretary (Agriculture), Government of Pondicherry, Pondicherry.

4. *Secretaries (Animal Husbandry) in the Zone*

(i) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.

(ii) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Tamil Nadu, Madras.

(iii) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.

(iv) Secretary (Animal Husbandry), Pondicherry Administration, Pondicherry.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone*

(i) Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Hyderabad.

(ii) Chief Conservator of Forests, Tamilnadu, Madras.

(iii) Chief Conservator of Forests, Orissa, Bhubaneshwar.

(iv) Conservator of Forests/Forest & Wildlife Officer, Pondicherry Administration, Pondicherry.

6. *Secretaries' (Irrigation) in the Zone*

(i) Secretary (Irrigation), Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.

(ii) Secretary (Irrigation), Government of Tamilnadu, Madras.

(iii) Secretary (Irrigation), Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.

(iv) Secretary (Irrigation), Pondicherry Administration, Pondicherry.

7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the Zone*

(i) Dr. Parmeshwar Rao, B.C.T. Yellamanchilli, Vishakhapatnam-531055.

(ii) Professor Someshwar Rao, Prof. Emeritus, University Waltair.

11. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Co-operation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Dr. A. Choudhary, Department of Zoology, Calcutta University, 25, Ballygunge Circular Road, Calcutta-700019.

Member-Secretary

15. Dr. T. V. S. Rao, Incharge Director, Agro-Economic Research Centre, Andhra University, Waltair-530003.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, Co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri.(XII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The commission of the Planning Team for the *West Coast Plains and Ghats* Region is as follows :

Zone No. 12 : Western Plains and Ghat Region

Members of the Planning Team.

Chairman

1. Dr. S. P. Kadrakar,
Vice-Chancellor,
Konkan Krishi Vishwa Vidyalaya,
Depali-415712

Members

2. *Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.*

(i) Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University, Vallanikhara, Trichur.

(ii) Vice-Chancellor, Tamilnadu Agriculture University, Coimbatore.

(iii) Vice-Chancellor, U.A.S., Dharwad, Karnataka.

3. *All APCs and Agriculture Securities of all the States in the Zone.*

(i) Agriculture Production Commissioner, Kerala, Trivandrum.

(ii) Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra, Bombay.

(iii) Agriculture Production Commissioner, Karnataka, Bangalore.

(iv) Secretary, Agriculture, Government of Goa, Panaji.

4. *Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.*

(i) Secretary (Animal Husbandry), Government of Kerala, Trivandrum.

(ii) Secretary (Animal Husbandry), Government of Karnataka, Bangalore.

(iii) Secretary (Animal Husbandry), Government of Maharashtra, Bombay.

(iv) Secretary (Animal Husbandry), Government of Goa, Panaji.

5. *Chief Conservators of Forests in the Zone.*

(i) Chief Conservator of Forests, Kerala, Trivandrum.

(ii) Chief Conservator of Forests, Karnataka, Bangalore.

(iii) Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Pune.

(iv) Chief Conservator of Forests, Goa, Panaji.

6. *Secretaries, Irrigation in the Zone.*

(i) Secretary (Irrigation), Government of Kerala Trivandrum.

(ii) Secretary (Irrigation), Government of Karnataka, Bangalore.

(iii) Secretary (Irrigation), Government of Maharashtra, Bombay

(iv) Secretary (Irrigation), Government of Goa, Panaji.

7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. *Representatives of NGOs concerned with crop, fruit Plantation/rural development in the Zone.*

(i) Shri Vasant Gangavara, Gokal Prakalp Pratisthan, 2150, Juvakar House, Behind Ram Mandir, Ratangiri-415612.

(ii) Dr. B. Ekbal, KASP. Parishad Bhavan, Trivandrum-689937.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Dr. N. Balakrishnan Nair, Chairman, State Committee on Science, Technology and Environment, Panning and Economic Affairs Department, Secretariat, Trivandrum-695001.

Member-Secretary

15. Prof. S. G. Hanumantha, Head A.D.R.T. Unit, Institute for Social and Economic Change, Bangalore-560072.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, Co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri-XIII.—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, de decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Gujarat Plains and Hills* Region are as follows :

Zone 15 : Gujarat Plains and Hill Regions
Members of the Planning Team

Chairman

1. Shri R. Parthasarathy,
Vice Chancellor,
Gujarat Agricultural University,
Sardar Krushi Nagar, Dentiwada,
Banaskantha-385506.

Members

2. Secretary, Agriculture,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.

3. Secretary, Animal Husbandry,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.

4. Chief Conservator, Forests,
Government of Gujarat,
Baroda.

5. Secretary, Irrigation,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.

6. Representative of Coop. Land Development Banks in the Zone.

7. Representatives of NABARD.

8. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region.*

(i) Dr. Vimal Shah,
C/o Gujarat Institute of area Planning, Gandhinagar Highway, Ahmedabad-580054.

(ii) Shri Nawalbhai Shah,
C/o Abhyaskum & Aayojan Trust, 2 Amarnath Society, Narrinpura Char Rasta, Ahmedabad-380016.

(iii) Shri V. Patel, Surendra Farms, Bhavnagar.

9. Representative of the Planning Commission.

10. Representative of the ICAR.

11. Representative of the Department of Agriculture and Co-operation.

12. Representative of the Ministry of Water Resources.

13. Prof. S. C. Pandeya, Saurashtra University, Rajkot Gujarat.

Member-Secretary

14. Prof. Mahesh Pathak, Hon. Director, Agro Economic Research Centre, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-868120 (Gujarat).

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri(XIV).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, de decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Western Dry Region* is as follows :

Zone No. 14 : Western Dry Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. K. N. Nag,
Vice Chancellor,
Rajasthan Agricultural University,
Bikaner-334001.

Members

2. Secretary,
Agriculture Cooperation,
Rajasthan, Jaipur.

3. Secretary, Animal Husbandry,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

4. Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

5. Secretary, Irrigation
Government of Rajasthan,
Jaipur.

6. Representative of Coop. Land Development Banks in the Zone.

7. Representatives of NABARD.

8. *Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region.*

(i) Shri Sanjit (Bunker) Roy, S.W.R.C.,
P.O. Tilonia-305816, Distt. Ajmer, Rajasthan.

9. Representative of the Planning Commission.

10. Representative of the ICAR.

11. Representative of the Department of Agriculture and Co-operation.

12. Representative of the Ministry of Water Resources.

13. Dr. Ishwar Prakash, Director, Central Arid Zone Research Institute (CAZRI) Jodhpur (Rajasthan) 342005.

Member-Secretary

14. Prof. Mahesh Pathak, Hon. Director, Agro Economic Research Centre, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388380.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, Co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri(XV).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Islands Region* is as follows :

Zone No. 15 : *The Islands Region*

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. P. P. Abrol,
Deputy Director General,
I.C.A.R., Krishi Bhavan,
New Delhi-110001.

Members

2. *Secretary Agriculture*

(i) Secretary Agriculture, Andaman & Nicobar Islands, Portblair.

(ii) Administrator/Director Agriculture, Lakshadweep, Kavarathi.

3. *Secretary Animal Husbandry in the Zone*

(i) Secretary, Animal Husbandry, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.

(ii) Administrator/Director, Animal Husbandry, Fisheries, Lakshadweep, Kavarathi.

4. *Chief Conservators of Forests in the Zone.*

(i) Chief Conservator of Forest, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.

(ii) Forest & Wild Life Officer, Lakshadweep, Kavarathi.

5. *State Secretary, Irrigation in the Zone*

(i) Secretary, Irrigation, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.

(ii) Administrator, Lakshadweep, Kavarathi.

6. Representative of the Coop. Land Development Bank's Federation in the Zone.

7. Representative of the NABARD.

8. Representative of the Planning Commission.

9. Representative of the ICAR.

10. Representative of the Ministry of Water Resources.

11. Dr. Satish Chandran Nair, Santhi Belhavan Garden, Trivandrum, Cochin.

Member-Secretary

12. Dr. C. Arputharaj, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, University of Madras Chepak Triplicane, Madras-600 034.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

(i) To collect and collate relevant information and data with respect to soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 7th July 1988

No. M-13043/12/87-Agri.—It has since been decided that Secretary (Water Resources), Secretary (Space) and Secretary (Rural Development) will also be Members of the Central Committee for organising Agriculture Planning on the basis of Agro-Climatic Zones set up vide Planning Commission's Resolution of even number, dated 27th November, 1987. With the addition of the above mentioned members, the composition of the Central Committee would now be as follows :

Chairman

1. Member (Agriculture) Planning Commission.

Members

2. Secretary (Agriculture & Cooperation)
3. Secretary (Environment & Forests)
4. Secretary (Agricultural Research & Education)
5. Secretary (Planning)
6. Secretary (Expenditure)
7. Secretary (Water Resources)
8. Secretary (Space)
9. Secretary (Rural Development)

Convener

10. Adviser (Agriculture), Planning Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Central Committee and to all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL
Director (Administration)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 1st August 1988

No. F. 1-6/88.T.13.—On the approval of the Chairman Board of Assessment for Educational Qualification, the Government of India has been pleased to recognise with immediate effect the three year diploma course in Handloom Technology awarded by the Indian Institute of Handloom Technology at Salem/Varanasi/Gauhati for the purpose of employment to subordinate posts and services under the Central Government in the appropriate field.

SUNDAR SINGH
Dy. Educational Adviser (T)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 11th August 1988

No. 23-6/87-LI.—The President hereby directs that with effect from 1st June 1988 the following further amendments shall be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance namely :—

In the said rules, at the end of rule 43, of POIF Rules, the existing table II relating to Endowment Assurances with monthly premium for an assurance of Rs. 5000/- revised with effect from 1-11-87 will be substituted by the following table :—

Table II

Post Office Insurance Fund—Premiums in force from 1st June 1988.

ENDOWMENT ASSURANCES

Monthly premiums for an Assurance of Rs. 5,000/-

Age at entry	Policy maturing at the age					
	35 Yrs. (Rs.)	40 Yrs. (Rs.)	45 Yrs. (Rs.)	50 Yrs. (Rs.)	55 Yrs. (Rs.)	58 Yrs. (Rs.)
19	26	19	15	12	10	9
20	27	20	16	13	10	10
21	29	21	16	13	11	10
22	32	22	17	14	11	10
23	35	24	18	14	12	10
24	38	26	19	15	12	11
25	42	27	20	16	13	11
26	47	29	21	16	13	12
27	53	32	22	17	14	12
28	61	35	24	18	14	13
29	72	38	26	19	15	13
30	86	42	28	20	16	14
31	—	47	30	21	17	15
32	—	53	32	23	17	15
33	—	61	35	24	18	16
34	—	72	38	26	19	17
35	—	86	42	28	20	18
36	—	—	47	30	22	19
37	—	—	53	32	23	20
38	—	—	61	35	25	21
39	—	—	72	39	26	22
40	—	—	87	43	28	23
41	—	—	—	48	30	25
42	—	—	—	54	33	27
43	—	—	—	62	36	29
44	—	—	—	72	39	31
45	—	—	—	87	43	33
46	—	—	—	—	48	36
47	—	—	—	—	55	40
48	—	—	—	—	63	44
49	—	—	—	—	73	49
50	—	—	—	—	88	55

Note :—1. For the purpose of above Table 'age at entry" means the age next birthday following the date of payment of the first premium.

2. For a policy of Rs. 20,000/- and above a rebate of Re. 1/- per month per twenty thousand of sum assured is admissible.

3. For the purpose of the table "minimum age at entry" will be 19 years of age and maximum 50 years.

4. The minimum sum assured shall be Rs. 10,000/- but not more than an aggregate of Rs. one lakh in all classes of insurance taken together.

5. The policies can be taken in the units of Rs. 5,000/- but not less than Rs. 10,000/- sum assured.

MRS. JYOTSNA DIESH
Director (PLI)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th August 1988

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/83/38/5.—With reference to the formation of Railway Hindi Salahkar Samiti under the Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. Hindi/Samiti/86/38/6 dated 16-1-87 amended from time to time, it has been decided that word 'Member' should only be used wherever the words 'Non-official Member' have been used in this resolution and in future 'Non-official Members' be addressed as 'Members' only.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. VAISH
Secy., Railway Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988